मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड की बैठक 2023/06 के मद संख्या 2023/06.08 के अन्तर्गण लिए गये निर्णयों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023 में छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति हेतु प्रख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रो0 वी0 के0 सिंह, पूर्व कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की अवधि के लिए (इनमें से जो भी पहले हो) लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल एवं सेवा शर्तें वहीं होंगी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विहित की जायें। लोकपाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023 में विहित व्यवस्थानुसार छात्र शिकायत निवारण समिति (एस0जी0आर0सी0) के निर्णयों के विरूद्ध की गयी अपीलों को सुनकर उनपर निर्णय लिए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
कुलसचिव

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/ 135 /2023 दिनांकः 16 दिसम्बर 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01 प्रो0 वी0 के0 सिंह, पूर्व कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

02 समस्त अधिष्ठाता/ समस्त विभागाध्यक्ष/ समस्त अनुभागीय अधिकारी/ यूनिट के समस्त प्रभारीगण।

03 वित्त नियन्त्रक।

04 उप-कुलसचिव।

05 नियन्ता।

06 मुख्य छात्रावास अधीक्षक।

07 वेबमास्टर विश्वविद्यालय वेबसाईट को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अद्यतन करवाने हेतु।

06 वै0स0 कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

16/12/2023
कुलसचिव